**International Journal of Humanities and Social Science Research**
**ISSN: 2455-2070**
**Impact Factor: RJIF 5.22**
**www.socialsciencejournal.in**
**Volume 4; Issue 3; May 2018; Page No. 12-16**

# स्थानीय स्वशासन एवं सामूहिक विकास

**मनोज कुमार**
शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

**सारांश**
भारत में पंचायतीराज की अवधारणा बहुत प्राचीन है। यहां प्राचीन संस्थाओं से सम्बन्धित अवधारणा को ही परिवर्तित स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। ''पंचायतीराज'' शब्द का अस्तित्व स्वतन्त्र भारत में श्री बलवन्तराय गोपाल जी मेहता के ''लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' प्रतिवेदन से उदय हुआ, शाब्दिक दृष्टि से पंचायतीराज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों "पंचायत'' और ''राज'' से मिलकर बना है जिसका संयुक्त अर्थ होता है पांच जनप्रतिनिधियों का शासन। भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थों में भी पंचायत अथवा ''पंचायती'' शब्द संस्कृत भाषा के ''पंचायतन्'' शब्द से उद्भूत हुआ है। संस्कृत भाषा ग्रन्थों के अनुसार किसी आध्यात्मिक पुरूष सहित पांच पुरूषों के समूह अथवा वर्ग को पंचायतन् के नाम से संबोधित किया जाता था। परन्तु शनैः शनैः पंचायत की इस आध्यात्मिकतायुक्त अवधारणा में परिवर्तन होता गया और वर्तमान में पंचायत की अवधारणा का अभिप्राय इस प्रकार की निर्वाचित सभा से है जिसकी सदस्य संख्या प्रधान सहित पांच होती है और जो स्थानीय स्तर के विवादों को हल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गांधी जी ने भी पंचायत शब्द की व्यख्या करते हुए लिखा है कि, ''पंचायत'' शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पांच जनप्रतिनिधियों की सभा से है।
हमारे देश में पंच परमेश्वर यानि की पांच व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य व निर्णय, परमेश्वर की बात के बराबर है, का प्राचीन काल से महत्व रहा है। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था संस्कृति की धरोहर के रूप में जानी पहचानी जाती है। स्थानीय लोगों के समूह जिसमें पांच व्यक्तियों द्वारा गांव की समस्याओं का मतभेदों का फैसला करना, प्राचीन पंचायत का मूल कार्य होता था तथा इन व्यक्तियों को पंच परमेश्वर का स्थान दिया गया था। इस प्रकार हम देखें तो गांव के फैसले गांव में ही स्थानीय लोगों के द्वारा किये जाते थे इसमें बाहरी व्यक्तियों या समूहों का हस्तक्षेप नहीं होता था। वास्तव में यह व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का एक व्यवहारिक प्रयोग था।

**मूल शब्द :** पंचायतीराज, जनप्रतिनिधियों, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण।

## प्रस्तावना
भारतीय लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार पंचायत राज व्यवस्था रही है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही मनुष्य ने जब मनुष्यों में रहना सीखा, पंचायत राज के आदर्श एवं मूल सिद्धान्त उसकी चेतना में विकसित होते आए है। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में अलग–अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। सहकारिता और आत्मनिर्भरता व स्वावलंबन, इन व्यवस्थाओं का मूल मंत्र रहा है। हमारे इतिहास में जब भी शासन व्यवस्था की चर्चा हुई है, राज्य के आश्रय से अलग एक व्यवस्था का उल्लेख भी आया है। चाहे उसे राज्य पर शर्म का प्रभाव कहा जाए या पंचों की राय माना जाए, लेकिन सार्वजनिक हित में काम करने की भावना हर स्थिति में बलवती रही है और यही भावना अनेक रूपों में प्रकट होती रही है। हमारे दर्शन, ग्रन्थों, इतिहास तथा साहित्य और समाज में भी सबको साथ लेकर चलने और सबके हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा को बल मिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय जन मानस की इस प्रवृत्ति को नया रूप देने का प्रयास किया कि समष्टि में ही व्यक्ति का अपना हित समाहित है।
महात्मा गांधी ने स्वतन्त्र भारत के एक मजबूत पंचायत राज शासन पद्धति का स्वप्न संजोया था जिसमें शासन कार्य की सबसे प्रथम इकाई पंचायते होगी। उनकी कल्पना पंचायतों की शासन व्यवस्था की धुरी होने के साथ ही आत्म निर्भर, पूर्णतया स्वायत्त और स्वावलंबी होने की थी। स्वन्त्रता के पश्चात् महात्मा गांधी की इस परिकल्पना को साकार करने हेतु समय–समय पर प्रयास किए गए। कभी ग्रामीण विकास के नाम पर और कभी सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को लोकतंत्र का मूल आधार बनाने के लिए उपयोग किया जाता रहा। अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तरह के प्रयोग इसके लिए चले। कुछ असफल रहे तो कुछ सफल रहे और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बने। लेकिन पूरे देश में प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके बुनियादी स्तर पर पंचायत राज की स्थापना और जनता के हाथ में सीधे अधिकार देने की शुरूआत संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सम्भव हुई।
73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। महिलाएं समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन उनकी राजनीतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायत राज सामाजिक समता नया रूप देने का एक सामूहिक प्रयास है।
भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायत के विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के सदस्य और उनके प्रमुख दोनों पर महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया जिससे देश के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में संतुलन आए। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया खण्ड–(9) और उसके अन्तर्गत 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 243 (द) (3) के अन्तर्गत महिलाओं की सदस्यता और अनुच्देद 243 (द) (4) में उनके लिए पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 (द) के अनुसार अनूसूचित जाति एवं जनजाति के लिए उनक जनसंख्या के अनुपात में ऐसा आरक्षण करना है जिससे इन्हीं वर्गों की महिलाओं हेतु ऐसे स्थानों के एक तिहाई स्थान आरक्षित रहे।

भारतीय संविधान में 73वां तथा 74वां संवैधानिक संशोधन भारतीय राजनीति की संरचनात्मक व्यवस्था में बहुत बड़ी क्रान्ति के द्योतक है। तत्कालीन भारतीय सरकारों अभिनन्दनीय और धरातल से जुड़े लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था के प्रतीक हैं। इन संशोधन अधिनियमों से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के वर्तमान ढांचे, संरचना एवं कार्यकलापों में महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं सुधार होंगे ऐसी आशा थी। इनसे देश में लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी क्योंकि अभी तक पिछले पांच दशकों मे शासन सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर ही रहा है जबकि सच्चे लोकतंत्र की सफलता के लिए शासन सत्ता का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह की दिशा में की जा रही पहल के परिचायक हैं। भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए लोकसभा एवं विधान सभाओं के लिए ही निर्वाचित प्रतिनिधि पर्याप्त नही है तथा शासन सत्ता का प्रयोग केवल केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा ही हो, यह पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र को सामान्यजन के दरवाजे तक लाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि गांवों तथा नगरों के स्तर पर भी लोगों का प्रतिनिधित्व हो तथा ग्रामीण तथा नगरीय जन प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों के हित में स्थानीय कार्यों के सम्पादन हेतु शासन सत्ता का प्रयोग हों। इस दिशा में 73वां संवैधानिक संशोधन उल्लेखनीय शुरूआत है।

स्थानीय स्वशासन लोगों की अपन स्वयं की शासन व्यवस्था का नाम है। अर्थात स्थानीय लोगों द्वारा मिलजुलकर स्थानीय समस्याओं के निदान एवं विकास हेतु बनाई गई ऐसी व्यवस्था जो संविधान और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गये नियमों एवं कानून के अनुरूप हो। दूसरे शब्दों मे 'स्वशासन' गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी है। यदि हम इतिहास को पलट कर देखें तो प्राचीन काल में भी स्थानीय स्वशासन विद्यमान था। सर्वप्रथम कुटुम्ब से कुनबे बने और कुनबों से समूह। यह समूह ही बाद में ग्राम कहलाये। इन समूहों की व्यवस्था प्रबन्धन के लिये लोगों ने कुछ नियम, कायदे कानून बनाये। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म माना जाता था। ये नियम समूह अथवा गांव में शाति व्यवस्था बनाये रखने, सहभागिता से कार्य करने व गांव में किसी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान करने, तथा सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। गांव का सम्पूर्ण प्रबन्धन तथा व्यवस्था इन्हीं नियमों के अनुसार होती थी। इन्हें समूह के लोग स्वयं बनाते थे व उसका क्रियान्वयन भी वही लोग करते थे। कहने का तात्पर्य है कि स्थानीय स्वशासन में लोगों के पास वे सारे अधिकार हों जिससे वे विकास की प्रक्रिया को अपनी जरूरत और अपनी प्राथमिकता के आधार पर मनचाही दिशा दे सकें। वे स्वयं ही अपने लिये प्राथमिकता के आधार पर योजना बनायें और स्वयं ही उसका क्रियान्वयन भी करें। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर भी उन्हीं का नियत्रंण हो ताकि उसके संवर्द्धन और संरक्षण की चिन्ता भी वे स्वयं ही करें। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की पीछे सदैव यही मूलधारणा रही है कि हमारे गांव, जो वर्षों से अपना शासन स्वयं चलाते रहे है। जिनकी अपनी एक न्याय व्यवस्था रही है, वे ही अपने विकास की दिशा तय करें। आज भी हमारे गई गांवों में परम्परागत रूप से स्थानीय स्वशासन की न्याय व्यवस्था विद्यमान है।

## स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य

- गांव के लोगों की गांव में अपनी शासन व्यवस्था हो व गांव स्तर पर स्वयं की न्याय प्रक्रिया हो।
- ग्रामस्तरीय नियोजन, क्रियान्वयन व निगरानी में गांव के हर महिला पुरूष की सक्रिय भागीदारी हो।
- किस प्रकार का विकास चाहिये या किस प्रकार के निर्माण कार्य हों या गांव के संसाधनों का प्रबन्धन व संरक्षण कैसे होगा ये सभी बातें गांव वाले तय करेंगे।
- गांव की सब तरह की समस्याओं का समाधान गांव के लोगों की भागेदारी से ही हो।
- ऐसा शासन जहां लोग स्थानीय मुद्दो, गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।
- स्थानीय स्तर पर स्वशासन को लागू करने का माध्यम गांव के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों का समूह हो जिन्होंने सम्पूर्ण गांव का विकास, व्यवस्था व प्रबन्धन करना है। ऐसा समूह जिसका निर्णय सभी को मान्य हो।

## संविधान में संशोधन व स्थानीय स्वशासन

- हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। पंचायतों के कार्य भी लगभग समान हैं। उनके स्वरूप में जरूर परिवर्तन हुआ है। पहले पंचायतों का स्वरूप कुछ और था। उस समय वह संस्था के रूप में कार्य करती थी और गांव के झगड़े, गांव की व्यवस्थायें सुधारना जैसे फसल सुरक्षा, पेयजल, सिंचाई, रास्ते, जंगलों का प्रबंधन आदि मुख्य कार्य हुआ करते थे।
- लोगों को पंचायतों के प्रति बड़ा विश्वास था। उनका निर्णय लोग सहज स्वीकार कर लेते थे। और हमारी पंचायतें भी बिना पक्षपात के कोई निर्णय किया करती थी। ऐसा नहीं कि पंचायतें सिर्फ गांव का निर्णय करती थी। बड़े क्षेत्र, पट्टी, आदि के लोगों के मूल्यों से जुड़े संवेदशील निर्णय भी पंचायतें बड़े विश्वास के साथ करती थी। इससे पता लगता है कि पंचायतों के प्रति लोगों का पहले कितना विश्वास था। वास्तव में जिस स्वशासन की बात हम आज कर रहे हैं, असली स्वशासन वही था। जब लोग अपना शासन खुद चलाते थे, अपने विकास के बारे में खुद सोचते थे, अपनी समस्यायें स्वयं हल करते थे एवं अपने निर्णय स्वयं लेते थे।
- धीरे–धीरे ये पंचायत व्यवस्थायें आजादी के बाद समाप्त होती गई। इसका मुख्य कारण रहा, सरकार का दूरगामी परिणाम सोचे बिना पंचायत व्यवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप। जो छोटे–छोटे विवाद पहले हमारे गावं में हो जाते थे अब वह सरकारी कानून व्यवस्था से पूरे होते हैं, जिन जंगलों का हम पहले सुरक्षा भी करते थे और उसका सही प्रबंधन भी करते थे अब उससे दूरियां बनती जा रही हैं और उसे हम अधिक से अधिक उपभोग करने की दृष्टि से देखते हैं। जो गांव के विकास संबंधी नजरिया हमारा स्वयं का था उसकी जगह सरकारी योजनाओं ने ले ली है और गांवों में उनका क्रियान्वयन होने लगा।
- परिणाम यह हुआ कि लोगों की जरूरत के अनुसार नियोजन नहीं हुआ और जिन लोगों की पहुंच थी, उन्होंने ही योजनाओं का उपभोग किया। लोग योजनाओं के उपभोग के लिए हर समय तैयार रहने लगे चाहे वह उसके जरूरत की हो या न हो। उसको पाने के लिए व्यक्ति खींचातानी में लगा रहा। इससे कमजोर वर्ग धीरे–धीरे और कमजोर होता गया और लोग पूरी तरह सरकार की योजनाओं और सब्सिडी (छूट) पर निर्भर होने लगे। धीरे–धीरे पंचायत की भूमिका गांव के विकास में शून्य हो गई। लोग भी पुरानी पंचायतों से कटते गये।
- लेकिन 80 के दशक में यह लगने लगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह भी सोचा जाने लगा कि योजनाओं को लोगों की जरूरत

के मुताबिक बनाया जाये। योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन में भी लोगों की भागीदारी जरूरी समझी जाने लगी। तब ऐसा महसूस हुआ कि ऐसी व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है जिसमें लोग खुद अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं का निर्माण करें और स्वयं उनका क्रियान्वयन करें।

- इसी सोच के आधार पर पंचायतों को कानूनी तौर पर नये काम और अधिकार देने की सोची गई ताकि स्थानीय लोग अपनी जरूरतों को पहचानें, उसके उपाय खोजें, उसके आधार पर योजना बनायें, योजनाओं को क्रियान्वित करें और इस प्रकार अपने गांव का विकास करें।
- इस सोच को समटते हुए सरकार ने संविधान में 73वाँ संशोधन कर पंचायतों को नये कार्य और अधिकार दे दिये हैं। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार की तरह पंचायतें भी स्थानीय लोगों की अपनी सरकार की तरह कार्य करने लगी।

## स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता

स्थानीय स्वशासन में लोगों के हितों की रक्षा होती है तथा स्थानीय लोगों की सहभागिता से आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनायी व लागू की जाती हैं।

- ग्रामीण विकास हेतु किये जाने वाले किसी भी कार्य में स्थानीय एवं संसाधनों का लोगों द्वारा बेहतर उपयोग किया जाता है।
- स्थानीय लोग अपनी समस्याओं एवं प्राथमिकताओं से भली–भांति परिचित होते हैं। तथा लोग अपनी समस्या एवं बातों को आसानी से रख पाते हैं।
- स्थानीय स्वशासन व्यवस्था से लोगों की भागीदारी से जिम्मेदारी का अहसास होता है और स्थानीय स्तर की समस्याओं का निदान व विवादों का निपटारा लोग स्वयं करते हैं।
- गांव के विकास में महिलाओं, निर्बल, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा वास्तविक लाभार्थी को लाभ मिलता है।

*अब्राहम लिंकन के कथनानुसार लोकतंत्र का अर्थ है जनता की, जनता के लिय, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था। ग्राम स्वराज ही लोकतंत्र की जड़ है। जब तक लोग स्वयं अपने ग्राम हित सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर अपना विचार नहीं रखते, स्वयं निर्णय नहीं लेते, निर्णयों को सबके हितों में क्रियान्वित नहीं करते, तब तक ग्राम स्वराज केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा।*

## स्थानीय स्वशासन व पंचायते

स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में पंचायतों की अहम भूमिका है। पंचायतें हमारी संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थायें हैं और प्रशासन से भी उनका सीधा जुड़ाव है। भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन पर संचालन पंचायत ही करती आयी है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन से स्वप्न को साकार करने का माध्यम पंचायतें ही है। चूंकि पंचायतें स्थानीय लोगों के द्वारा गठित होती हैं और इन्हें संवैधानिक संस्थाएं ही आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं ग्राम सभा को साथ मिलकर बनायेंगी व उसे लागू करेंगी। गांव के लिये कौन सी योजना बननी है, कैसे क्रियान्वित करनी है, क्रियान्वयन के दौरान कौन निगरानी करेगा, ये सभी कार्य पंचायतें गांव के लोगों (ग्रामसभा सदस्यों) की सक्रिय भागीदारी से करेंगी। इससे निर्णय स्तर पर आम जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी।

स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत हो सकता है जब पंचायतें मजबूत होंगी और पंचायतें तभी मजबूत होंगी जब लोग मिलजुलकर इसके कार्यो में अपनी भागीदारी देंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पंचायतों के कार्यों में पारदर्शिता होना जरूरी है। पहले भी लोग स्वयं अपने संसाधनों का, अपने ग्राम विकास का प्रबन्धन करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रबन्धन आज से कहीं बेहतर भी होता था। हमारी परम्परागत रूप से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की सोच बीते समय के साथ कमजोर हुई है। नई पंचायत व्यवस्था के माध्यम से इस परम्परा को पुनः जीवित होने का मौका मिला। अतः ग्रामीणों को चाहिये कि पंचायत और स्थानीय स्वशासन की मूल अवधारणा को समझने की चेष्टा करें ताकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक बन सकें।

गांवों का विकास तभी सम्भव है जब सम्पूर्ण ग्रामवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। जब तक गांव के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के निर्णयों में गांव के पहले तथा अन्तिम व्यक्ति की बराबर की भागीदारी नहीं होगी जब तक हम ग्राम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जनसामान्य की अपनी सरकार तभी मजबूत बनेगी जब लोग ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अपनी भागीदारी के महत्व को समझेंगे।

## स्थानीय स्वशासन व पंचायतों में आपसी सम्बन्ध

भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर शासन का संचालन पंचायत ही करती आई है। स्थानीय स्तर पर स्वशासन के स्वप्न को साकार करने का माध्यम है पंचायतें।

- चूंकि पंचायतें स्थानीय स्तर पर गठित होती है अतः पंचायतें स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने का अचूक तरीका है।
- पंचायत में गांव के विकास हेतु स्थानीय लोग ही निर्णय लेते हैं विवादों का निपटारा करते हैं, स्थानीय मुद्दों के लिए कार्य करते हैं अतः गांव की हर गतिविधि व कार्य में स्थानीय लोगों की ही भागीदारी रहती है।
- पंचायत द्वारा बनाये गये विकास कार्यक्रमों में क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होती है तथा स्थानीय लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। अतः पंचायत स्थानीय लोगों के अधिकारों व हकों की सुरक्षा करती है।

स्थानीय स्वशासन की दिशा में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम एक कारगार एवं क्रान्तिकारी कदम है। लेकिन गांव के अन्तिम व्यक्ति की सत्ता एवं निर्णय में भागीदारी से ही स्थानीय स्वशासन की सफलता आंकी जा सकती है। स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब गांव के हर वर्ग चाहे दलित हों अथवा जनजाति, महिला हो या फिर गरीब, सबकी समान रूपसे स्वशासन में भागीदारी होगी। इसके लिये गांव के प्रत्येक ग्रामीण को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। हम अपने गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कल्पना तभी कर सकते हैं जब गांव के विकास संबंधी समुचित निर्णयों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होगी लेकिन इस सबके लिये पंचायत व्यवस्था ही एक मात्र एक ऐसा मंच है जहां आम जन समुदाय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विकास से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार कर सकते हैं और सबसे विकास की कल्पना को साकार रूप दे सकते हैं।

## स्थानीय स्वशासन कैसे मजबूत करें

- स्थानीय स्वशासन की मजबूती के लिए सर्वप्रथम पंचायत में सुयोग्य प्रतिनिधियों का चयन होना आवश्यक है। पंचायत का

नेतृत्व करने के लिए ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना चाहिए जिसकी स्वच्छ छवि हो व वह निःस्वार्थ भाव वाला हो।

- स्थानीय ग्राम सभा पंचायती राज की नींव होती है। अगर ग्रामसभा के सदस्य सक्रिय होंगे व अपनी भूमिका तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रह कर पंचायत के कार्यों में भागीदारी करेंगे, तभी स्थानीय स्वशासन मजबूत हो सकता है।
- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक, प्राकृतिक, बौद्धिक, संसाधनों का बेहतर उपयोग एवं उचित प्रबन्धन से ही विकास प्रक्रिया को गति प्रदान की जा सकती है। अतः स्थानीय संसाधनो के बेहतर उपयोग द्वारा पंचायतें अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर ग्राम व ग्रामवासियों के विकास को गति प्रदान कर सकती है।
- स्थानीय स्वशासन तभी मजबूत होगा जब गांव वासी अपनी आवश्यकता व प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं व कार्यक्रमों का नियोजन करेंगे व उनका स्वयं ही क्रियान्वय करेंगे। ऊपर से थोपी गयी परियोजनायें कभी भी ग्रामीणें में योजना के प्रति अपनत्व की भावना नहीं ला सकती, अतः सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ही योजनाएं बनानी होंगी तभी वास्तविक रूप से स्थानीय व स्वशासन मजबूत होगा।
- पंचायतों की मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू है निष्पक्ष सामाजिक न्याय व्यवस्था व महिला पुरूष समानता को बढ़ावा देना। पंचायतें सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास को ग्राम स्तर पर लागू करने का माध्यम है। अतः समाज के वंचित, उपेक्षित व शोषित वर्ग को विकास प्रक्रिया में भागीदारी के समान अवसर प्रदान करने से ही पंचायती राज की मूल भावना ''लोक शासन'' को मूर्त रूप दे सकती है।
- युवा किसी भी देश व समाज के लिए पूँजी है। अनके अंदर प्रतिभा, शक्ति व हुनर विद्यमान है इस युवा शक्ति व प्रतिभा का पलायन रोककर व उनकी शक्ति व ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों में सदुपयोग किया जाए तो वे स्थानीय स्तर पर पंचायतों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- पंचायतीराज की मजबूती के लिए सत्ता का वास्तविक रूप में विकेन्द्रीकरण अर्थात कार्य, कार्मिक व वित्त सम्बन्धित वास्तविक अधिकार पंचायतों को हस्तांतरित करना आवश्यक है। इनके बिना पंचायतें अपनी भूमिका व जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने में असमर्थ है।

## स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण विकास में संबंध

- स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण विकास एक दूसरे के पूरक है। स्थानीय स्वशासन के माध्यम से गांव की समस्याओं को प्राथमिकता मिल सकती है व ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- स्थानीय स्वशासन की आधारशिला पंचायत है अतः पंचायत के माध्यम से गांव के समुचित प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है।
- ग्राम विकास की समस्त योजनाएं गांव के लोागें द्वारा ही बनाई जायेंगी व लागू की जायेगी। इससे विकास कार्यों के प्रति सामूहिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय समुदाय का विकास की गतिविधियों में पूर्ण नियत्रंण।
- ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं सब को समान महत्व मिलने से स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा। महिलाओं तथा कमजोर वर्गों की भागीदारी से ग्राम विकास की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
- मजबूत स्थानीय स्वशासन से किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा गांव स्तर पर ही किया जा सकता है।
- स्थानीय समुदाय की नियोजन व निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से विकास जनसमुदाय व गांव के हित में होगा। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान भी स्थानीय स्तर पर सबके निर्णय द्वारा होगा। स्थानीय संसाधनों का समुचित विकास व उपयोग होगा तथा सामूहिकता का विकास होगा।

## निष्कर्ष

73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतें स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं। पंचायतें ग्राम, ब्लाक व जिला स्तर पर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाएंगी जिसमें 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषय भी शामिल हैं। अर्थात पंचायतें आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाकर उनको क्रियान्वित करेंगी। इस कार्य के लिए पंचायतों की कार्यात्मक, वित्तीय व प्रशासनिक स्वायत्ता उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बिना इस स्वायत्तता के पंचायतों के लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि वे लोगों की आशाओं व आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। यही नहीं पंचायतों में आरक्षण के बाद पहली बार अधिक संख्या में समाज के गरीब तबके के लोग व महिलाएं भी चुनकर आई हैं। अधिकतर महिलाएं व पुरूष, जो इन वर्गों से चुनकर आए हैं, आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े है। उनका सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ापन भी उनके लिए चुनौती है।

पंचायतों की कार्यात्मक, वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक चुनौतियों को देखकर लगता है कि पंचायती राज व्यवस्था शायद ही अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा सके, लेकिन पूर्ण रूप से फेल हो गई हो, ऐसा नहीं है। पंचायतों के सामने अनेक बाधाएं है।, लेकिन केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा उठाए गए अनेक सकारात्मक कदम तथा स्वयं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किये गये जा रहे अनेक प्रयास ढाढ़स बंधाते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था आने वाले समय में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेगी।

ग्रामीण समाज के दबे कुचले वर्ग में पिछले लगभग एक दशक के दौरान जागृति आई है। वे ग्रामीण समाज के उच्च वर्ग की शोषणप्रद आदतों व व्यवहारों के विरूद्ध आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन उनकी आदतों व व्यवहार को समझने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था। विभिन्न राज्यों में पंचायत प्रतिनिधियों के संगठन बने हैं, जिनमें निर्णय लिए गए हैं कि पंचायत अधिनियम में जहां–जहां नौकरशाही का नियत्रंण है उनमें संशोधन किया जाए। विभिन्न राज्यों में हुए पंचायतों के चुनावों में लोगों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया है। अनेक महिलाएं गैर सुरक्षित सीटों से जीतकर आई हैं। पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयासों से जनता में उनसे अपेक्षा बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में पंचायतों को अधिक संघर्ष करना होगा क्योंकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के रास्ते में अनेक राजनैतिक, प्रशासनिक व सामाजिक बाधाएं आएंगी।

## संदर्भ


1. महीपाल : पंचायती राज– अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांश प्रकाशन, दिल्ली, (1996)
2. श्रीवास्तव अरूण, : भारत में पंचायती राज, रावत पब्लिशर्स, जयपुर (1994)
3. Kumar Narendra, Raj Manoj : Dalit Leadership in Panchayats, Rawat Publsihers, Jaiupur, 2006
4. सिंह, धर्मेन्द्र : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, रावत पब्लिशर्स, जयपुर (2007)

5. महीपाल : पंचायती राज – चुनौतियां एवं संभावनाएं, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली (2004)
6. Mishra, S.N., Singh, S.S. : Roads to Model Panchayati Raj, Mittal Publications, New Delhi, 1993
7. माहेश्वरी, एच0आर0 : भारत में स्थानीय प्रशासन– अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, (1984)
8. शर्मा, अग्रवाल : ग्रामीण तथा नगरीय प्रशासन, रेखा प्रकाशन, दिल्ली (2002)
9. बाजपेयी, अशोक : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, साहित्य भवन प्रकाश, नई दिल्ली, (1997)